फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

इन्द्राज सिंह पुत्र ओम सिंह आदि बनाम बन्ताराम पुत्र रूपराम आदि

किस्म मुकदमाः—अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रकरण संख्याः—13/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हए
29.8.2022	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फेरीकेन हाजिर। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद एवं धारा 96 सीपीसी पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलान्टगण ने धारा 96 सीपीसी एवं धारा 5 मियाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 01 के नाम चक 1 बीजेडब्ल्यू में कुल तादादी 46.16 बीघा अर्थात 936 हिस्सा में से 501 हिस्सा रेस्पोडेन्ट नं0 1 के नाम तथाकथित बैयनांमा के आधार पर दिनांक 27—09—1996 लगभग 36 वर्षो के पश्चात दर्ज राजस्व रिकार्ड कर दिया गया। जिसकी जानकारी अपीलांटगण को रेस्पोडेंट संख्या 01 के द्वारा उपखण्ड़ अधिकारी सूरतगढ़ के समक्ष प्रस्तुत दावे के नोटिस से हुई जिस पर पटवारी हल्का से जमाबंदी प्राप्त करने पर ज्ञान हुआ कि उक्त जैरवाद रकबा में रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम 6.337 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुकी है। उक्त अंकन की जानकारी होते ही अपीलांट ने बिना देरी किये अपील प्रस्तुत कर दी। जैरवाद रकबा अपीलांट के दादा/पड़दादा हरलाल सिंह से प्राप्त होने के कारण अपीलांटगण उक्त जैरवाद रकबा के हितबद्व पक्षकार है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जावे तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील अनुमति प्रदान करे। वकील रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद एवं 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र जबाब मय शपथ—पत्र प्रस्तुत कर उक्त तथ्यों का खण्ड़न किया। वकील रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा जैरअपील आदेश की जानकारी उपखण्ड़ अधिकारी सूरतगढ़ के वाद में जारी नोटिस से होना बताया गया है। अपीलांटगण को न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी सूरतगढ़ का नोटिस दिनांक 14.10.2019 को तामील हो चुके थे तथा उपखण्ड़ अधिकारी न्यायालय में भी पैरवी हेतु दिनांक 18.10.2019 को वकील नियुक्त कर दिया गया था। जबकि अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 31.01.2020 को पेश की गई है। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी के नोटिस प्राप्ति के भी 3 महीने 10 दिन बाद पेश की है जो मियाद बाहर है। जैर अपील भूमि अपीलान्ट के दादा/ पड़दादा हरलाल सिंह ने अपने 936 हिस्सा में से 501 हिस्सा का बेचान पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर रेस्पोडेन्ट नं0 1 के नाम जरिये बैयनांमा तस्दीक करवा दिया गया। जिसका इन्तकाल राजस्व रिकार्ड दर्ज हो चुका था जिसकी जानकारी शुरू से ही अपीलान्टस को थी इसके बावजूद भी 23 वर्षो के पश्चात हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांट ने धारा 5 मियाद के प्रार्थना पत्र में जानकारी का आधार नोटिस प्राप्ति के पश्चात जमाबन्दी से होना बताया है जबकि अपीलान्ट सं0 1 ता 9 के पिता रूप सिंह एवं अपीलांट संख्या 10 ता 18 के पति/पिता सुरजन सिंह के वारिसान जैरवाद रकबा में 435 हिस्सा में केसर देवी के हक हिस्सा की दस्तबरदारी दिनांक 14—12—2001 को करवाई। इसके पश्चात इन्तकाल सं0 83 दिनांक 20—02—2002 दस्तबरदारी/विरास्तन धुड़ी देवी व सुल्तानसिंह का करवाया [illegible] अपीलान्टस ने जैरवाद रकबा में अपने हक/हिस्सा पर रहन इन्तक[illegible] दिनांक 20—02—2016 एवं इन्तकाल सं0 358 दिनांक 08—02—2017 किया [illegible] मियाद पाने के कतई हकदार नही है । रेस्पोडेन्ट नं0 1 के वकील ने [illegible] पक्षकार पर आपत्ति उठाते हुए बताया कि अपीलान्टस के दादा/पड़दादा हरलाल सिंह ने उक्त जैरवाद रकबा पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करके रेस्पोडेन्ट नं0 1 के प[illegible] बैयनांमा तस्दीक करवाया और कब्जा काश्त सौंपा गया। जब तक अपीलान्ट बैयनांमा सिविल न्यायालय से खारिज नही करवा लेते तब तक किसी प्रकार के हक सर्जित नही होगें तथा अपीलांट ने रेस्पोडेंट का कब्जा होना भी स्वीकार किया है। इसलिए अपीलान्टस की अपील मियाद बाहर होने के कारण निरस्त की जावे। न्यायिक दृष्टांत आरबीजे 2008(15) पेज	

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.01.23 12:00:22 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

674, आरबीजे 2009(16) पेज 01, आरबीजे 2004 (11) पेज 327, आरबीजे 2004 (11) पेज 535, आरबीजे 2018 (25) 756 (एससी), आरबीजे 2018 (25) पेज 436, आरबीजे 2018 (25) पेज 198, आरबीजे (5)1998 पेज 444 की ओर ध्यान दिलाया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा प्रस्तुत दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया गया। अपीलांटगण को न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी सूरतगढ़ का नोटिस दिनांक 14.10.2019 को तामील हो चुके थे, जबकि अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 31.01.2020 को पेश की गई है एवं हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ के जैरअपील निर्णय के विरूद्व 23 वर्षो के पश्चात प्रस्तुत करने का कारण रेस्पोडेन्ट नं0 1 के प्रस्तुत खाता विभाजन वाद–पत्र के नोटिस प्राप्त के बाद पटवारी से जमाबन्दी की नकल से ज्ञान हुआ जबकि रेस्पोडेन्ट नं0 1 द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर खण्डन करने एवं प्रस्तुत रिकार्ड अपीलान्टस के तथ्यों के विपरीत है, जिसमें अपीलान्टस के पिता द्वारा अपना हिस्सा रहन, केसरदेवी के हक हिस्सा की दस्तबरदारी, अपीलान्ट के पिता के देहान्त के पश्चात विरास्तन एवं स्वयं अपीलान्ट द्वारा अपने हक/हिस्सा को रहन रखने तथा रेस्पोडेन्ट नं0 1 का जैरवाद रकबा के कब्जा सम्बन्धी दस्तावेज व उक्त जेरवाद रकबा जरिये बैयनांमा से रेस्पोडेन्ट नं0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड की पूर्ण जानकारी अपीलान्टस को थी। रेस्पोडेन्ट नं0 1 द्वारा प्रस्तुत विनिर्णयो में प्रतिवादित किये गये सिद्धान्तो को भी मध्य नजर रखते हुए हम इसी निष्कर्ष पर पहुचते है कि अपीलान्टस ने देरी को कण्डोन करने का जो कारण उल्लेखित किये है वे रिकार्ड के मुताबिक विश्वसनीय एवं सन्तोषजनक नही है, जिस कारण से उक्त सिद्धान्तो से बाध्य होते हुए हमारे समक्ष अपीलान्टस द्वारा अपील दायर करने में की गयी लगभग 23 वर्षो की देरी को कण्डोन करने के कोई न्याय संगत आधार नही है। अतः हम अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं0 1 के इस तर्क से सहमत है कि अपीलान्टस की अपील मियाद बाहर होने के आधार पर खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्टस मियाद बाहर होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले न्यायालय में निर्णय गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.01.23 12:00:22 IST
Reason: SelfAttested